

**न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला -बड़वानी (म.प्र.)**

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 209 /2014  
संस्थित दिनांक-01.04.2014**

म.प्र. राज्य द्वारा-  
आरक्षी केन्द्र अंजड़, जिला- बड़वानी ..... अभियोगी

**वि रु द्ध**

1. उमेश पिता सीताराम, उम्र- 37 वर्ष,  
निवासी ग्राम-चकेरी, थाना अंजड़,  
जिला बड़वानी (म.प्र.) .....अभियुक्त

---

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री एस.बी. पुरोहित अधिवक्ता ।

---

**---:: नि र्ण य ::---**

(आज दिनांक 26/09/2017 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 57/14 के आधार पर दिनांक 14.03.2014 को समय 03:00 बजे स्थान फरियादी का घर हरिजन मोहल्ला ग्राम चकेरी में सूर्यास्त पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व अपराध कारित करने के आशय से रात्रि प्रच्छन्ना या गृहभेदन कारित करने तथा फरियादिया जो एक स्त्री है कि लज्जाभंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करने के लिये भा.द.सं. की धारा 457 एवं 354 का आरोप है।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि फरियादिया आरोपी को जानता है तथा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि फरियादिया ने दिनांक 22.08.2017 को आरोपी से राजीनामा न्यायालय में पेश किया था किन्तु अशमनीय प्रकृति का अपराध होने से उक्त राजीनामा निरस्त किया गया।

03. अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 14.03.2014 को फरियादिया ने थाना अंजड़ में आरोपी के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपने घर में कल खाना खा कर घर का दरवाजा अंदर से बंद करके सो गई थी। रात्रि लगभग 03:00 बजे आरोपी उसकी खाट पर आकर बैठ गया तथा उसका दाहिना कंधा और छाती बुरी नियत से दबाने लगा। वह चिल्लाई और पीछा किया तो आरोपी दरवाजा खोल कर भाग गया। उसने घटना कैलेश पाटीदार, हेमन्त तथा शारदा को बताई। आरोपी उसके घर की दीवार कुद कर घर के अंदर घुसा था। उसने अपने लड़के संतोष को फोन करके बुलाया तथा उसको साथ लेकर रिपोर्ट करने आयी। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आपराध दर्ज कर घटना स्थल का

नक्शा

मैका बनाया फरियादिया और साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4. उक्त अनुसार आरोपीगण पर भा.द.सं. की धारा 457, 354 का आरोप लगाने पर आरोपीगण ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा। उनका अभिवाक लिखा गया। द.प्र.स. की धारा 313 के अंतर्गत किया गया परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फसाया गया किन्तु बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दी।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या दिनांक 14.03.2014 को समय 03:00 बजे स्थान फरियादी का घर हरिजन मोहल्ला ग्राम चकेरी में सूर्यास्त पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व अपराध कारित करने के आशय से रात्रि प्रच्छन्ना या गृहभेदन कारित किया ?
2	क्या आरोपी ने उक्त दिनांक स्थान व समय पर फरियादिया जो की एक स्त्री है कि लज्जाभंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग किया?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निराकरण :-

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादिया अ.सा.1 का कथन है कि तीन वर्ष पूर्व वह अपने घर में खाट पर सोई थी। उसे घर के अंदर किसी व्यक्ति की होने की आहट सुनाई दी तो वह चिल्लाई तब कोई व्यक्ति उसकी खट पर पैर रखते हुये दरवाजे से निकल कर भाग गया। उसने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा था। उसने घटना की बात कैलाश, हेमन्त शारदा और कुंदाबाई को बताई। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड पर अपने पुत्र के साथ जाकर की थी। साक्षी ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लिखाना स्वीकार किया। साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी घटना दिनांक को उसके घर के अंदर उसकी लज्जाभंग करने के आशय से दीवार कुद कर भाग गया था। साक्षी ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट और प्रदर्श पी-3 के कथन में आरोपी द्वारा उसके साथ लज्जाभंग करने की बात लिखाने से भी इंकार कर दिया। फरियादिया ने स्वीकार किया कि उसने आरोपी से राजीनामा कर लिया है किन्तु इस सुझाव से इंकार किया कि वह राजीनामा होने के कारण असत्य कथन कर रही है।

07. अब्दुल गफ्फार अ.सा.02 का कथन है कि दिनांक 14.03.2014 को थाना अंजड पर फरियादिया ने आरोपी द्वारा उसके घर के अंदर दीवार कुद कर घुसने और उसकी लज्जाभंग करने के आशय से उस पर बल प्रयोग करने के संबंध में प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लिखाई थी जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादिया को ईलाज के लिये भेजा था। साक्षी का यह भी कथन है कि उपनिरीक्षक श्री गणेश सिंह रावल ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने फरियादिया और साक्षीगण के कथन उनके कहें अनुसार लिये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट में

फरियादिया ने आरोपी का नाम नहीं लिखाया था। साक्षी ने सुझाव से इंकार किया कि  
//2//

उसने **प्रदर्श पी-1** की रिपोर्ट में आरोपी का नाम मन से लिखा है अथवा आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाया है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने असत्य विवेचना की है या वह असत्य कथन कर रहा है।

**08.** राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में जबकि फरियादिया स्वयं पक्ष विरोधी रही और उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 457 एवं 354 का अपराध प्रमाणित नहीं होता तथा उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

**09.** उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह के परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं अतः यह न्यायालय आरोपी उमेश पिता सीताराम, उम्र-37 वर्ष, निवासी ग्राम-चकरी, थाना अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.) को भा.द.सं. की धारा 457 एवं 354 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

**10.** आरोपी उमेश के जमानत और मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। आरोपी के अभिरक्षा में रहने के संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाए।

**11.** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

09.

10.

11. ऐसी स्थिति में जप्तीपंचनामे के साक्षी ने उसके सामने आरोपीगण से कोई भी पूछताछ करने या पुलिस द्वारा उसके सामने चोरी की संपत्ति सोयाबीन के कट्टे जप्त होने से स्पष्ट रूप से इंकार किया तो जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी की एक मात्र साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक, स्थल व समय से फरियादी के गोदाम से मध्यरात्रि के समय रात्रि प्रच्छन्न अतिचार तथा उसकी अनुमति के बिना 10 कट्टे सोयाबीन की चोरी की थी। ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरुद्ध उक्त विचारणीय प्रश्न प्रमाणित नहीं होता।

12. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 आरोपीगण के विरुद्ध संदेह के परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है अतः यह न्यायालय आरोपी पण्डू पिता मांगीलाल एवं अनिल पिता जगदीश को भादस की धारा 457 एवं 380 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

13. आरोपी पण्डू अभिरक्षा में उनका रिहाई आदेश जारी हो। आरोपी अनिल के जमानत और मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। आरोपीगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में दफ़्तर की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाए।

14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 10 कट्टे सोयाबीन के जिसमें प्रत्येक कट्टे में 50 किलोग्राम सोयाबीन कुल 5 क्विंटल कीमती 20,000/— रुपये, फरियादी की सुपुर्दगी पर है अपील अवधी पश्चात् सुपुर्दनामा भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

सही /—

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

सही /—

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

